यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट के माह 06/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰एन॰ यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 08/02/2021 से 12/02/2021 तक श्री जे॰एम॰एस॰ रावत/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार/स॰ले॰प॰अ॰, श्री भारत सिंह/स॰ले॰प॰अ॰ एवं श्री अंकित पाण्डेय/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2019 से 26.06.2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान/वरि॰ले॰प॰अ॰ के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2017 से 05/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** मार्ग एवं सेतु निर्माण, रा॰र॰सं॰ 121-(301) किमी 63.00 से 263.115 एवं रा॰र॰सं॰ 119 (534) किमी 23.00 से 78.00।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19		---	---	443.58	435.25	450.83	446.12	----	----
2019-20		---	---	436.78	436.78	714.94	302.57	----	412.37
2020-21 (up to 12/2020)		---	---	381.51	381.51	893.14	634.23	----	258.86

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 12/2020)	सीआरएफ़	शून्य	488.00	488.00	---	---

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'C'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माहो **जुलाई 2019 एवं नबम्बर 2020 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु** चयनित किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य **"Construction of 04 bridges in km 138 to 194"** का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में 08.01.2020 से 11.01.2021 में निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **11/2020** तथा **09/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह **01/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : (-)₹115800.00

भाग द्वितीय : ₹1355.00

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **01/2021** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ₹ 2204528.00

(ख) सामग्री क्रय : शून्य

(ग) नगद परिशोधन : शून्य

(घ) निक्षेप- : ₹11210007.00

(ङ) भण्डार- : शून्य

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: वित्तीय नियमो का पालन न करते हुये कार्य के निष्पादन मे ₹ 768.04 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य रहना।

As per Financial Handbook Volume-VI :

Clause 378- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा " Construction of 04 Minor Bridges from Km 139.00 to Km 196.00 of NH-119 (534) in State of Uttarakhand" हेतु ₹ 1530.16 lakh की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अगस्त 2017)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 25/SE-NH-10/2017-18 दिनांकित 20.03.2018 आगणित लागत ₹ 1334.95 लाख के सापेक्ष ₹ 1330.80 लाख हेतु गठित की गयी ।अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 29.09.2019 निर्धारित थी। वर्तमान मे कार्य पर कुल व्यय ₹ 768.04.लाख (10^{th} Running Bill) था।

अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग खंड , लो0 नि0 वि0, धूमकोट के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (फरवरी 2020) मे पाया गया कि खंड के द्वारा उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति ₹ 1530.16 लाख (कुल सेतु की स0 04)) के सापेक्ष आंशिक रूप से मात्र 03 सेतु पर ही कार्य प्रारम्भ किया गया जबकि एक सेतु पर (चैनेज 152.00 किमी) कार्य वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। पुनः उपरोक्त गठित अनुबंध के कार्य भी अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के 16 माह बाद भी मात्र 50 प्रतिशत ही पूर्ण किए जा सके थे एवं कार्य मे देरी हेतु ठेकेदार से Liquidated Damage के रूप मे धनराशि ₹ 133.08 लाख का अर्थदण्ड भी नहीं लगाया गया था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया गया कि वन भूमि के कारण एक सेतु का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका जबकि अन्य कार्य वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने के कारण पूर्ण नहीं किए जा सके। पुनः Liquidated damage न लगाए जाने के संबंध मे बताया गया की कोरोना काल के कारण कार्य मे देरी हुई जिसके सापेक्ष समयावृद्धि सक्षम अधिकारी से प्राप्त है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमावली के अनुसार बिना Clear Land/ भूमि अधिग्रहण के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कार्य कोरोना काल के कारण पूर्ण न किया जाना तथ्य से परे है क्योंकि अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि माह सितंबर 2019 थी जो की कोरोना काल से पूर्व की थी।

अतः खंड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत कार्य प्रारम्भ किया गया जो कार्य की निर्धारित समाप्ति तिथि के 16 माह बाद भी अपूर्ण था जिससे उक्त पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 768.04 लाख निष्प्रयोज्य थी, का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (अ)

प्रस्तर–2: खंड में कार्यरत 26 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का भुगतान किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट के अभिलेखों (सेवापुस्तिका एवं वेतन बिल पंजिका) की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खंड में कार्यरत 26 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया है, जिसकी वजह से इनको वेतन/भत्तों का अधिक/कम भुगतान किया जा रहा है। इनमें से 01 कार्मिक के भुगतान संबंधी अभिलेख/साक्ष्य खंड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इनको अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो की धनराशि की गणना भी की गई। इन कार्मिकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

श्री रमेश कुमार असवाल/सहायक अभियंता एवं श्री महेश चन्द्र पाण्डेय/सहायक अभियंता:-
उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 10 (3) के अनुसार- ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रौन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।*

उक्त दोनों कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओ की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.10.2017 को इनका ग्रेड वेतन 7600 (7वे वेतनमान में लेवल-12) से पुनरीक्षित होकर 8700 (लेवल-13) हुआ था। जिसके बाद उक्त तिथि से ही लेवल-13 में इनका वेतन निर्धारण किया गया (7वे वेतनमान में)। जिसमे इनका मूलवेतन 102800 से बढ़ाकर 123100 निर्धारित किया गया। परंतु खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई (मूलवेतन=126800) वह समय से पहले दिनांक 01.01.2018 को दी गई, जो कि उपरोक्त नियम (बिन्दु-1) के अनुसार 01.07.2018 को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि यह एक वित्तीय उन्नयन था।
उपरोक्त की वजह से खंड द्वारा इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ जो कि 01.01.2019, 01.01.2020 एवं 01.01.2021 को दी गईं (मूलवेतन क्रमश: 130600, 134500, 138500), वह भी समय से पहले दी गई। जो कि क्रमश: 01.07.2019, 01.07.2020 एवं 01.07.2021 को दी जानी चाहिए थीं।
उक्त दोनों कार्मिकों में से **श्री रमेश चन्द्र असवाल** के भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख खंड द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए, जिनके आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इनको अधिक भुगतान किये गए वेतन एवं भत्तो की गणना की गई। तो पाया गया कि इनको उक्त की वजह से कुल धनराशि **₹75758** का अधिक भुगतान किया गया (संलग्नक-1)।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष 24 कार्मिकों के वेतन निर्धारण में भी कई विसंगतियाँ/त्रुटियाँ पायी गई। चूंकि इन कार्मिकों के भुगतान संबंधी अभिलेख खंड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जा सके, इसलिए इनको अधिक/कम भुगतान किए गए वेतन की गणना लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी। परंतु इनके वेतन निर्धारण में पायी गई विसंगतियों/त्रुटियों का विवरण इस प्रकार है-

श्री जगत सिंह/ बेलदार:- की सेवापुस्तिका में इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2019 को मूलवेतन की प्रविष्टि नहीं की गई है।

<u>श्री राजेंद्र प्रसाद/बेलदार:-</u> की सेवापुस्तिका में 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को जो वेतन निर्धारण किया गया है उसमे दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेडवेतन 9490+2400 कुल=11890 लिया गया है। परंतु इनकी सेवापुस्तिका में वर्ष 2015 एवं उसके पूर्व के वर्षों में भी मूलवेतन की कोई प्रविष्टि ही नहीं है।
उक्त के अतिरिक्त पाया गया कि वर्ष 2016 से पूर्व इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई थी परंतु वर्ष 2016 से नए वेतनमान में इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि समय से पूर्व 01 जनवरी कर दी गई। जिसका सेवापुस्तिका में कोई कारण अंकित नहीं है।

<u>श्री चन्द्र मोहन घड़ियाल/कार्य अभिकर्ता:-</u> खंड द्वारा इनकी नियुक्ति तिथि (01.11.1992) से इनका पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 24.03.2011 को इनको एक वेतन वृद्धि दी गई है। परंतु सेवापुस्तिका में यह कहीं उल्लिखित नहीं है कि यह वेतन वृद्धि क्यों दी गई है।
उक्त के अतिरिक्त आगे जांच में पाया गया कि शासन द्वारा दिनांक 01.02.16 से वर्क एजेंट के पद का न्यूनतम ग्रेड वेतन 2400 कर दिया गया था। जिसके बाद खंड द्वारा इन्हे उक्त तिथि को प्रथम एसीपी के अंतर्गत पूर्व से प्राप्त ग्रेड वेतन 2400 को 2800 में उच्चीकृत किया गया। परंतु नए वेतनमान (7वे) में उक्त तिथि को निर्धारित मूलवेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में नहीं की गई है और इसके बाद दिनांक 01.01.2017 को खंड द्वारा जो मूलवेतन की प्रविष्टि (32900) की गई है वह भी गलत एवं अधिक की गई है। लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि (01.01.2017) को इनका मूलवेतन 31900 होना चाहिए था। उक्त की वजह से आगामी वर्षों (2018 से 2021 तक) में भी इनका मूलवेतन गलत एवं अधिक निर्धारित किया गया।

<u>श्री गुलाब सिंह/बेलदार एवं प्रेम सिंह/बेलदार:-</u> खंड द्वारा इनका भी इनकी नियुक्ति तिथि (29.01.1988) से पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इनके वेतन निर्धारण में भी दिनांक 24.03.2011 को इनको एक वेतन वृद्धि दी गई है। परंतु सेवापुस्तिका में यह कहीं उल्लिखित नहीं है कि यह वेतन वृद्धि क्यों दी गई है।
उक्त तिथि से आगे दिनांक 23.10.12 को इन्हे भी 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी का लाभ (ग्रेड वेतन 1800 से 1900 में) दिया गया है। जिसके बाद उक्त तिथि को खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया है। परंतु इस वेतन निर्धारण में इनका जो मूलवेतन निर्धारित किया गया है, वह गलत एवं कम निर्धारित किया गया है। उक्त एसीपी पर इन्हे वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं दिया गया है। जिसकी वजह से आगामी वर्षों में भी गलत वेतन निर्धारित किया गया।

<u>श्री संजय सिंह बिष्ट/कार्य अभिकर्ता:-</u> 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, वह गलत एवं कम निर्धारित किया गया है। इस वेतन निर्धारण में इनका दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेडवेतन 6340+2000 कुल=8340 लिया गया है। जबकि उक्त तिथि को इनका मूलवेतन+ग्रेडवेतन 6720+2000 कुल=8720 था। उक्त की वजह से आगामी वर्षों में भी इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.02.2016 को इन्हे 6वे वेतनमान में 2400 ग्रेडवेतन का लाभ प्राप्त हुआ था, जिसे 6वे वेतनमान में तो वेतन निर्धारण की गणना में लिया गया परंतु 7वे वेतनमान में इसे नहीं लिया गया।

<u>श्री अरुण कुमार/कार्य अभिकर्ता:-</u> दिनांक 12.02.2014 को इनका ग्रेडवेतन 1900 से 2400 में उच्चीकृत हुआ था। जिसके बाद खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारित किया गया। परंतु इसके बाद इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2015 को दी गई जबकि यह वार्षिक वेतन वृद्धि 01.07.2014 को दी जानी चाहिए थी। क्योंकि इनकी विगत वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2013 थी। इसकी वजह से आगामी वर्षों में भी इनका गलत वेतन निर्धारण किया गया।
उक्त के अतिरिक्त आगे जांच में पाया गया कि दिनांक 01.09.2015 को इन्हे द्वितीय एसीपी का लाभ (ग्रेड वेतन 2400 से 2800 में) दिया गया। परंतु इसके बाद दिनांक 01.01.16 को 7वे वेतनमान में वेतन

निर्धारण करते समय इनको उक्त तिथि (01.01.16) को तृतीय एसीपी के अंतर्गत ग्रेड वेतन 4200 का लाभ दिया गया। जो कि अनियमित है। क्योंकि 6वे वेतनमान में तृतीय एसीपी का लाभ द्वितीय एसीपी के बाद न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पर देय था। इस प्रकार इन्हे दिनांक 01.01.16 से भी वेतन भत्तो का अनियमित लाभ दिया गया।

श्री यशपाल सिंह/मेंट:- 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, वह गलत एवं कम निर्धारित किया गया है। इस वेतन निर्धारण में दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूलवेतन+ग्रेडवेतन 8580+1900 कुल=10480 लिया गया है। जबकि उक्त तिथि को इनका मूलवेतन+ग्रेडवेतन 8590+2400 कुल=10990 था। उक्त की वजह से आगामी वर्षों में भी इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया।
इसके अतिरिक्त दिनांक 23.02.2016 को इन्हे 6वे वेतनमान में द्वितीय एसीपी के अंतर्गत ग्रेडवेतन 2800 का लाभ प्राप्त हुआ था, जिसे 6वे वेतनमान में तो वेतन निर्धारण की गणना में लिया गया परंतु 7वे वेतनमान में इसे नहीं लिया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह/मेंट:- दिनांक 12.02.2014 को इनके पद (मेंट) का ग्रेड वेतन 1800 से 1900 में उच्चीकृत हुआ था। परंतु खंड द्वारा इनको उक्त उच्चीकरण का लाभ दिनांक 11.09.2013 से दिया गया। जिसके बाद उक्त तिथि (11.09.13) को खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा इनको एक वेतन वृद्धि दी गई जो नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि यह केवल पद का ग्रेड वेतन उच्चीकरण था। उक्त की वजह से इन्हे इनका गलत एवं अधिक वेतन निर्धारण किया गया। उक्त के कारण आगामी वर्षों (2014 से 2020 तक) में भी इनका गलत एवं अधिक मूलवेतन निर्धारित किया गया।

श्री रणवीर सिंह/बेलदार:- खंड द्वारा इनकी नियुक्ति तिथि (01.11.1992) से इनका पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में इनको वर्ष 1996 की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और इसको नहीं दिये जाने का कारण भी सेवापुस्तिका में उल्लिखित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त इस वेतन निर्धारण में दिनांक 24.03.2011 को इनको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई है। परंतु सेवापुस्तिका में यह कहीं उल्लिखित नहीं है कि यह वेतन वृद्धि क्यों दी गई है।

श्री सोहन सिंह/बेलदार:- खंड द्वारा इनकी नियुक्ति तिथि (01.05.1998) से इनका पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में वर्ष 2006 में 6वे वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2006 को दी गई है जबकि नियमानुसार यह 01 जनवरी 2006 को दी जानी चाहिए थी। सेवापुस्तिका में वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि बदले जाने का कारण भी अंकित नहीं है।

श्री शिवदयाल/बेलदार:- खंड द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 3074 दिनांक 19.08.2011 के द्वारा इनका दिनांक 01.01.2006 से पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में इनको 01 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए थी परंतु खंड द्वारा इनको दिनांक 01.10.2006 को वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई एवं इसके बाद आगामी वर्षों मे वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी गई। जिसकी वजह से इनका 01 जुलाई 2006 से वर्तमान तक गलत वेतन निर्धारण किया गया।

श्री सुरेन्द्र लाल/बेलदार एवं श्रीमति फागुनी देवी/बेलदार:- इन दोनों कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 28.12.2006 थी। जिसके बाद इनको आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2007 को दी जानी चाहिए थी परंतु खंड द्वारा इनको नियुक्ति तिथि के बाद पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2006 को दी गई। जो कि पूर्णता अनियमित है क्योंकि उक्त तिथि (01 जुलाई 2006) को तो यह दोनों कार्मिक सेवा में ही नहीं थे।

<u>श्री सुरेन्द्र सिंह/बेलदार:-</u> इनकी सेवापुस्तिका में वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक मूलवेतन की प्रविष्टि ही नहीं है। उक्त अवधि में केवल ग्रेड वेतन की ही प्रविष्टि है।
उक्त के अतिरिक्त जांच में पाया गया कि वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी थी। इसके बाद वर्ष 2012 से 01 जुलाई कर दी गई परंतु सेवापुस्तिका में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है कि वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी से 01 जुलाई किस आधार पर की गई।

<u>श्री चैन सिंह/बेलदार:-</u> खंड द्वारा इनकी नियुक्ति तिथि (01.11.1992) से इनका पुन: वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में इनको वर्ष 1996 की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और इसको नहीं दिये जाने का कारण भी सेवापुस्तिका में उल्लिखित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त इस वेतन निर्धारण में दिनांक 01.07.2011 को इनको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई है। परंतु सेवापुस्तिका में यह कहीं उल्लिखित नहीं है कि यह वेतन वृद्धि क्यों दी गई है।

<u>श्री बलवंत सिंह दानू/कनिष्ठ अभियंता:-</u> दिनांक 22.07.2014 को इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सहायक से पद से कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी। इसके बाद उक्त तिथि को खंड द्वारा इनका वेतन निर्धारण किया गया। जिसमे इनका मूलवेतन+ग्रेडवेतन 12540+4660 कुल=17140 निर्धारित किया गया। परंतु खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह दिनांक 01.01.2015 को दी गई जबकि नियमानुसार यह 01.07.2016 को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार दिनांक 01.01.2015 को इनको समय से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई। जिसकी वजह से आगामी वर्षों में भी इनको समय से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई और अधिक वेतन भत्तो का भुगतान किया गया।

<u>श्रीमति पुष्पा रानी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी:-</u> दिनांक 29.04.2020 को इनकी पदोउन्नति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (लेवल 08) से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (लेवल 10) में हुई थी। जिसके बाद खंड द्वारा इनका उक्त तिथि को वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में उक्त तिथि को खंड द्वारा इनका मूलवेतन 59700 निर्धारित किया गया। जो लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 59500 होना चाहिए था। उक्त की वजह से इनका आगामी वर्ष में भी गलत मूलवेतन निर्धारित किया गया।

<u>श्री संजीव कुमार भट्ट/प्रधान सहायक:-</u> दिनांक 27.03.2011 से 01.01.2012 तक मूलवेतन एवं ग्रेड वेतन की जो प्रविष्टियाँ हैं उनके योग में त्रुटि हैं। इसके बाद दिनांक 01.01.2013 को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्टि ही नहीं की गई है। जिसकी वजह से दिनांक 27.03.2011 को और इससे आगे के वर्षों में निर्धारित मूलवेतन त्रुटिपूर्ण पाया गया।

<u>श्री अरविंद जोशी/अपर सहायक अभियंता</u>:- खंड द्वारा दिनांक 01.07.2019 को मूलवेतन (54900) की जो प्रविष्टि की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है। लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनके मूलवेतन की प्रविष्टि 55200 होनी चाहिए थी।

<u>श्रीमति ममता रावत/वरिष्ठ सहायक:-</u> इन्होने 15.10.2011 को कनिष्ठ सहायक के पद पर (ग्रेड वेतन 1900) नियुक्ति प्राप्त की थी। इसके बाद शासनादेश संख्या 41/XXVii/7/सी.भर्ती/2009 दिनांक: 13.02.2009 के द्वारा दिनांक 01.01.2013 से कनिष्ठ सहायक के पद का न्यूनतम ग्रेड वेतन 2000 कर दिया गया था। परंतु खंड द्वारा श्रीमति रावत को ग्रेड वेतन 2000 का लाभ उनकी नियुक्ति तिथि (15.10.2011) से ही दिया गया। इस प्रकार इन्हे नियुक्ति तिथि से वेतन भत्तो का अधिक लाभ दिया गया और उक्त की वजह से इन्हे आगामी वर्षों में भी अधिक मूलवेतन का लाभ दिया गया।

<u>श्री नरेंद्र सिंह/प्रधान सहायक</u>:- दिनांक 13.10.2020 को इनकी पदोउन्नति वरिष्ठ सहायक (लेवल-5) से प्रधान सहायक (लेवल-6) के पद पर हुई थी। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका वेतन

निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 34500 निर्धारित किया गया। जो कि गलत है। लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को प्रधान सहायक के पद पर इनका मूलवेतन 35400 (लेवल-6) निर्धारित किया जाना चाहिए था।

श्री राजेश कुमार/कनिष्ठ सहायक:- दिनांक 16.02.2019 को इनकी पदोउन्नति कनिष्ठ सहायक (लेवल-3) से वरिष्ठ सहायक (लेवल-5) के पद पर हुई थी। जिसके बाद खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में खंड द्वारा उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 29200 निर्धारित किया गया। परंतु इसके बाद खंड द्वारा इनको जो आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई वह 01 जुलाई 2019 को दी गई। जबकि नियमानुसार यह 01 जनवरी 2020 को दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार इन्हे समय से पूर्व ही वेतन वृद्धि दे दी गई और इसकी वजह से आगामी वर्ष में भी इनको समय से पूर्व वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया।

श्री चन्द्र सिंह नेगी/चौकीदार:- खंड द्वारा 7वे वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया है। खंड द्वारा दिनांक 01.01.2016 को इनका मूलवेतन 19100 निर्धारित किया गया है। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार उक्त तिथि को इनका मूलवेतन 19700 होना चाहिए था। इसकी वजह से खंड द्वारा आगामी वर्षो में भी इनका मूलवेतन गलत एवं कम निर्धारित किया गया।

उक्त सभी अधिकारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि प्रकरणों की जांच कर त्रुटियों के सुधार की कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: खंड में कार्यरत उक्त सभी कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण/गलत वेतन निर्धारण कर वेतन/भत्तो का भुगतान किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर-1: वित्तीय प्राविधानों के विपरीत नाशवान प्रकृति (perishable) की सामग्री पर सुरक्षित अग्रिम धनराशि ₹ 18.48 लाख का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुचाना।

वार्षिक योजना, 2019-20 के अन्तर्गत एवं रा0मा0 सं0 - 121(309) कि0मी0 111.00 से 262.00 (दीबा से बुआखाल) के मध्य 6 मीटर स्पान कलवर्ट का निर्माण व क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कार्य की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RO/UK/12014/ANNUAL PLAN/2019-20 dt 31.03.2020 (जॉब संख्या- NH-121 (309)-UR-2019-20-574) द्वारा ₹ 480.56 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मंत्रालय के पत्रांक RO/UK/12014/130/ANNUAL PLAN/2019-20 dt 31.03.2020 द्वारा प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की निविदा अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1173/13 याता-रा0मा0-10/2020 दिनांक 20.04.2020 द्वारा मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की गई थी, जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 30.06.2020 को खोली गयी जो प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एम0एन0आर0 कन्सट्रक्शन कम्पनी, कारगी रोड, देहरादून के पक्ष में ₹ 31950600.53 मात्र की खुली, जो कि आगणित लागत ₹ 38049253.63 से ₹ 6098653.10 अर्थात 16.03 प्रतिशत कम थी।

कार्य के निष्पादन हेतु M/s MNR Construction Company Dehradun के साथ अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 द्वारा अनुबन्ध संख्या 18/SE-NH-10/2020-21 दिनांक 06/10/2020 का गठन किया गया जिसकी अनुबन्धित लागत ₹ 31950600.53 एवं आगणित लागत ₹ 38049253.63 थी तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 06/10/2020 व समाप्ति की तिथि 05/07/2021 थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धूमाकोट के अभिलेखों की नमूना जांच (02/2021) में पाया गया कि उक्त कार्य निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक किसी चल देयक का भुगतान नही किया गया था, कार्य हेतु केवल सुरक्षित अग्रिम (secured advance) धनराशि ₹ 5993718.92 का माह 11/2020 में भुगतान किया गया था। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI पैरा 456 में सुरक्षित अग्रिम के सम्बन्ध में प्राविधानित है किः

1- Divisional officers are responsible that—

(i) When secured advances have been made for materials, recoveries are made regularly from the very first payments made for those items of actual work in which such materials have been used.

(ii) No secured advances are made for any materials, unless they are to be used within three months at the most.

(iii) Materials are actually measured in detail before making secured advances on them and their value is based on the actual rates for the purposes of determining the percentage at which secured advances on materials should be made.

NOTE-- Imperishable materials include bricks, rolled steel joists, etc. while articles such as lime, sand, kankar, etc, are perishable. Coal is, however, excluded from both the categories and no advance is permissible on this article.

उक्त प्राविधान के अनुसार ऐसी सामग्री जो नाशवान प्रकृति (perishable) की हो उस पर सुरक्षित अग्रिम नही दिया जाना चाहिये। Sand को नाशवान प्रकृति की सामग्री के तहत रखा गया है तथापि नाशवान प्रकृति (perishable) की सामग्री sand पर 1740.41 cum मात्रा के लिये धनराशि ₹ 1848419.84 का सुरक्षित अग्रिम का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया। जिसकी वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक नही की जा सकी थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि ठेकेदार के देयक से सुरक्षित अग्रिम की कटौती कर ली जायेगी तथा भविष्य में sand पर सुरक्षित अग्रिम नही दिये जाने का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि नाशवान प्रकृति (perishable) की सामग्री sand पर सुरक्षित अग्रिम का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुचाया गया था तथा जिसकी वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक नही की जा सकी थी।

अतः वित्तीय प्राविधानों के विपरीत नाशवान प्रकृति (perishable) की सामग्री पर सुरक्षित अग्रिम धनराशि ₹ 18.48 लाख का भुगतान कर ठेकेदार को अदेय लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर-2: कार्य की धीमी प्रगति से आमजन का सुलभ यातायात के लाभ से वंचित रहना।

धूमाकोट क्षेत्र के अन्तर्गत 04 सेतुओं के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी अनुमोदन माह 03/2018 में ₹ 1351.64 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य एन0एच0 121 (नया एन0एच0 309) किमी0 121 में 24 मी0 स्पान, कि0मी0 138 मे 8 मी0 स्पान, कि0मी0 141 में 42 मी0 स्पान एवं कि0मी0 149 में 10 मी0 स्पान के सेतु सम्मिलित थे।

राजमार्ग (NH) खण्ड धूमाकोट की लेखापरीक्षा माह फरवरी 2021 में पाया गया कि चारो सेतुओं के निर्माण हेतु ठेकेदार मैसर्स के0के0 कन्सट्रक्शन, रूड़की के साथ एक अनुबन्ध माह 9/2018 में गठित किया गया था एवं चारों सेतुओं को एक ही दिनांक 24/09/2018 को प्रारम्भ किया जाना था एवं दिनांक 23/03/2020 तक समाप्त किया जाना था लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹ 435.42 लाख व्यय होने के बाद भी कार्य अपूर्ण था और एक सेतु जो सबसे बड़ा था (42 मी0 स्पान) पर कार्य प्रारम्भ ही नही किया जा सका था एवं अभी मात्र पहुंच मार्ग हेतु पहाड़ कटान का कार्य प्रारम्भ किया गया था। उपरोक्त सेतु सिविल वन भूमि में निर्मित किया जाना था किन्तु खण्ड द्वारा वन भूमि की स्वीकृति लिए बिना ही अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि सिविल वन भूमि होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही कराया जा सका। खण्ड का उत्तर स्वयं स्पष्ट करता है कि बिना वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त किए खण्ड द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी एवं अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया गया। अन्ततोगत्वा स्वीकृति जुलाई 2020 में प्राप्त होने के बाद कार्य प्रगति में आया जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से लगभग 01 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण था।

अतः कार्य की धीमी प्रगति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	23/2011-12	01	-
2.	22/2012-13	-	01
3.	121/2016-17	-----	01,02,03
4.	22/2019-20	-----	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।	शून्य	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

1. सतत् अनियमितताएः शून्य

2. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री नरेंद्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से 31.12.2020 तक
2.	नवनीत पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	01.01.2021 से वर्तमान तक।

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

क्रम सं	नाम	पदनाम
1.	श्री संदीप बिष्ट	खंडीय लेखाधिकारी
2.	श्री अंकित गंगवाल	खंडीय लेखाकार
3.	श्री मोहित सिंह	खंडीय लेखाकार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र – II